भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.हिंदी-2025/प्र.-7/3 **नई दिल्ली, दिनांक : 12.02.2025**

परिपत्र

विषय: सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए लागू राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना, आधार वर्ष-2024.

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक व प्रशंसनीय प्रयोग करने वाले रेलवे बोर्ड कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को **"राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना"** के तहत पुरस्कृत किया जाता रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष रेलवे बोर्ड कार्यालय के तीन अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार के रूप में प्रत्येक को 3,000/-रू की राशि एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं।

यदि कोई विभागाध्यक्ष यह अनुभव करे कि उनके अधीनस्थ कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का सराहनीय प्रयोग कर रहा है तो वह उस अधिकारी/कर्मचारी को उक्त पुरस्कार से पुरस्कृत करने के लिए उसके नाम की अनुशंसा कर सकते हैं।

इस योजना के अंतर्गत और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार (प्रतिलिपि संलग्न) लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से लेकर सेलेक्शन ग्रेड स्तर तक के अधिकारियों की अनुशंसा इस आधार पर भेजी जा सकती है कि अहिंदी भाषी अधिकारी/कर्मचारी अपना कार्य कम से कम 50% हिंदी में तथा हिंदी भाषी अधिकारी/कर्मचारी अपना कार्य कम से कम 75% हिंदी में करते हों। **इस योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कार प्राप्त करने के बाद संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के नाम की सिफारिश अगले 03 वर्षों तक नहीं की जा सकेगी।**

अत: अनुरोध है कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष-**2024** (01.01.2024 से 31.12.2024) के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने वाले पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम द्विभाषी रूप में राजभाषा निदेशालय को **30.05.2025** तक भिजवाने की व्यवस्था करें।

कृपया अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम राजभाषा निदेशालय में भिजवाने से पहले उनकी सतर्कता जांच की पुष्टि कर ली जाए और नाम भिजवाने वाले नोट में इसका उल्लेख भी कर दिया जाए।

यह भी उल्लेखनीय है कि अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कार राशि RTGS/NEFT के माध्यम से भिजवाई जाएगी जिसके लिए उनकी संलग्न प्रोफार्मा में बैंक डिटेल्स एवं निरस्त चैक (Cancelled Cheque) भिजवाई जानी अनिवार्य है। प्रोफार्मा के साथ निरस्त चैक संलग्न न होने पर प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों के पदनाम और उनकी शाखा का नाम संक्षिप्त रूप में न होकर हिंदी एवं अंग्रेजी में पूर्ण रूप से लिखा हुआ हो।

संलग्नक: यथोक्त

(सुधीर कुमार)
कार्य.निदे./स्था.(श्रम कानून)

प्रतिलिपि : बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग तथा दयाबस्ती, नई दिल्ली स्थित कार्यालयों में कार्यरत बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

फाइल सं.हिंदी-2022/प्र.-7/5 **अनुलग्नक "क"**

नई दिल्ली, दिनांक 23.02.2023

संदर्भ: बोर्ड कार्यालय का दिनांक 01.09.2020 का पत्र सं.हिंदी-2020/प्र.-7/5.

सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए रेलवे बोर्ड की राजभाषा व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना–**मार्गदर्शी सिद्धांत**

1. यह योजना रेलवे बोर्ड की राजभाषा **व्यक्तिगत नकद पुरस्कार योजना** कहलाएगी।
2. उक्त पुरस्कार उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी दिया जाएगा जिनके बारे में रेलों तथा उत्पादन इकाइयों आदि के मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी/उप महाप्रबंधक (राजभाषा)/वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी द्वारा वर्तमान में किए गए राजभाषा संबंधी निरीक्षणों के दौरान तथा बोर्ड कार्यालय के महानिदेशक मानव (संसाधन)/प्रधान कार्यपालक निदेशक (औ.सं)/निदेशक (राजभाषा)/संयुक्त निदेशक (राजभाषा) द्वारा किए गए राजभाषा संबंधी निरीक्षणों के दौरान यह पाया जाए कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक एवं प्रशंसनीय प्रयोग कर रहे हैं।
3. पुरस्कार की पात्रता के लिए अहिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम से कम 50% और हिंदी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कम से कम 75% काम हिंदी में किए जाने की अनिवार्यता होगी।
4. पुरस्कार प्रदान करने के प्रयोजन से बोर्ड कार्यालय सहित प्रत्येक रेलवे/उत्पादन इकाई आदि में तीन सदस्यों की एक मूल्यांकन समिति गठित की जाए। इस समिति में एक संबंधित उपमहाप्रबंधक(राजभाषा)/वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी तथा वित्त/लेखा विभाग का एक अधिकारी शामिल होना चाहिए। मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी उक्त समिति के सदस्य एवं पदेन अध्यक्ष होंगे। बोर्ड कार्यालय की मूल्यांकन समिति में संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड और वित्त/लेखा निदेशालय का एक अधिकारी शामिल होगा। निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड इस समिति के सदस्य एवं पदेन सचिव होंगे।
5. इस योजना के अंतर्गत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से लेकर सलेक्शन ग्रेड के अधिकारियों तक की अनुशंसा भेजी जा सकती है।
6. यह योजना रेलवे बोर्ड कार्यालय में निदेशक (राजभाषा) के समग्र नियंत्रण में तथा क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों आदि में उप महाप्रबंधक (राजभाषा)/वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी (मुख्यालय)/राजभाषा अधिकारी (मुख्यालय) जैसी भी स्थिति हो, के समग्र नियंत्रण में कार्यान्वित की जाएगी।
7. हिंदी में किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम निर्धारित कोटे के तहत रेलवे बोर्ड को भिजवाएंगे।
8. बोर्ड कार्यालय का कोई विभागाध्यक्ष यह अनुभव करें कि उनके अधीनस्थ कोई अधिकारी/कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का सराहनीय प्रयोग कर रहा है, तो वह उस अधिकारी/कर्मचारी को पुरस्कृत करने के लिए उसका नाम भिजवा सकते हैं।
9. प्रत्येक रेलवे/उत्पादन इकाई संलग्न अनुलग्नक "ख" में निर्धारित कोटे से अधिक रेलकर्मियों की अनुशंसा नहीं भिजवाएंगे।
10. इस योजना के अंतर्गत एक बार पुरस्कार प्राप्त करने के बाद संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के नाम की सिफारिश अगले 03 वर्ष तक नहीं की जा सकेगी।
11. इस संबंध में सभी रेलों पर स्थायी रिकार्ड के रूप में पुरस्कृत अधिकारियों/कर्मचारियों का ब्यौरा एक रजिस्टर में रखा जाएगा।
12. अनुशंसित अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम बोर्ड कार्यालय में भिजवाने से पहले उनकी सतर्कता जांच की पुष्टि कर ली जाए और नाम भिजवाने वाले पत्र में इसका उल्लेख भी कर दिया जाए।

---XXX---

RTGS/NEFT कराने के प्रयोजन से अपेक्षित जानकारी भिजवाने हेतु प्रोफार्मा

1. नाम (हिंदी में) :

   NAME (IN ENGLISH) :

2. पदनाम/**DESIGNATION** :
3. कार्यालय का नाम/**OFFICE NAME** :
4. बैंक का नाम/**BANK NAME** :
5. बैंक शाखा का नाम/**BRANCH NAME** :
6. खाता सं./**ACCOUNT NO.** :

   (कृपया cancelled cheque की फोटोप्रति भी संलग्न करें)

7. आई.एफ.एस. कोड/**IFS CODE** :
8. मोबाइल नं./**MOBILE NO.** :

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

नोट- अनुरोध है कि उपर्युक्त सभी जानकारी (नाम, आईएफस कोड तथा खाता सं.) स्पष्ट रूप से और बैंक खाते के अनुसार ही हो। कोई भी विसंगति होने पर प्रविष्टि स्वीकार नहीं की जाएगी।

Note- It is requested that all the above mentioned information (name, IFS code and account number) should be clear and as per the bank account. In case of any discrepancy the entry will not be accepted.